	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 16, शुक्रवार, *शाके* 1941–मार्च 06, 2020 *Phalguna 16, Friday, Saka 1941–March 06, 2020*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 6, 2020

संख्या डी–83 एफ. 8(4)(1)निर्वा/2020 :– विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) भारत सरकार की दिनांक 6 मार्च, 2020 की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित की जाती है।

(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
****

नई दिल्ली, तारीख 6 मार्च, 2020
फाल्गुन 16, 1941 (शक)

अधिसूचना

का.आ. (अ). –– राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :–

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाराष्ट्र	7	02.04.2020
2.	ओडिशा	4	
3.	तमिलनाडू	6	
4.	पश्चिमी बंगाल	5	
5.	आंध्र प्रदेश	4	
6.	तेलंगाना	2	
7.	असम	3	
8.	बिहार	5	
9.	छतीसगढ़	2	

10.	गुजरात	4	09.04.2020
11.	हरियाणा	2	
12.	हिमाचल प्रदेश	1	
13.	झारखंड	2	
14.	मध्य प्रदेश	3	
15.	मणिपुर	1	
16.	राजस्थान	3	
17.	मेघालय	1	12.04.2020

[फा. सं. एच.11024/1/2020–वि.02]

(डा0 रीटा वशिष्ट)
अपर सचिव, भारत सरकार

Government of India
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)
***

New Delhi, the 6th March, 2020
Phalguna 16, 1941 (Saka)

Notification

S.O. … (E). – In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said table, on the expiration of their term of office :-

S.No.	Name of State	No. of seats to be filled	Date of retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Maharashtra	7	02.04.2020
2.	Odisha	4	
3.	Tamil Nadu	6	
4.	West Bengal	5	
5.	Andhra Pradesh	4	09.04.2020
6.	Telangana	2	
7.	Assam	3	
8.	Bihar	5	
9.	Chattisgarh	2	
10.	Gujarat	4	

11.	Haryana	2	
12.	Himachal Pradesh	1	
13.	Jharkhand	2	
14.	Madhya Pradesh	3	
15.	Manipur	1	
16.	Rajasthan	3	
17.	Meghalaya	1	12.04.2020

[F.No. H.11024/1/2020-Leg.II]

(Dr. Reeta Vasishta)

ADDITIONAL SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।